भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25 दक्षिण मार्ग सेक्टर 31 ऐ चण्डीगढ़-160030 दिनांक 05.05.2017

फाईल नम्बर:-9-HRB040/2017-CHA सेवा में

> नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ.सी.) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला हरियाणा ।

विषय:-- Diversion of 0.94 ha of forest land in favour of Executive Engineer, HUDA Division, Karnal for construction of 45 M wide road behind Sector 8, Part -II and Sector 9 urban estate, under Forest Division and District Karnal, Haryana

संदर्भ:- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FC) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-6962/289 िनांक 25.04.2017

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में संम्बन्धित संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.94 hec. वन मूमि की मांग की गई है।

- 2 कृपया इस प्रस्ताव से सम्बन्धित निग्नलिख्ति आवश्यक जानकारी नेजने का कष्ट करें ।
- i) It is a new construction of road which is not exempted for provision of equivalent non forest land under para 3.2(vi)
- The geo referenced digital map of the proposed site is not uploaded online at column C (iv) of Part I. KML file of proposed site be uploaded alongwith hard copy of original digital map signed by DFO.
- 3 ऊपर की गई पूछताछ का जवाब इस पत्र के जारी होने के 60 दिनों के अन्दर प्रब्तुत करें जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है ।

सोग दत्त शर्मा)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

0

- 1. Divisional Forest Officer, Forest Division & Distt. Karnal, Haryara.
- 2. The Executive Engineer, HUDA Division, Karnal